

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-12) विभाग

क्रमांक : प.3(39)गृह-12/कारा/1982

जयपुर, दिनांक 20.03.2015

:: आदेश ::

वर्ष 2015-16 में राजस्थान कारागार सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने अंकित तिथि को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम | पदनाम | जन्म तिथि | अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि | विचाराधीन विभागीय जांच/ शिकायत व न्यायालय प्रकरण संबंधि प्रकरण |
|----------|-------------------------|---|-----------|--|--|
| 1. | श्री अताउर रहमान नियाजी | अधीक्षक ग्रेड-1, महानिदेशालय कारागार, जयपुर | 15.09.55 | 30.09.2015 | कोई नहीं |
| 2. | श्री विश्वेश जोशी | अधीक्षक ग्रेड-11, केन्द्रीय कारागृह भरतपुर (वर्तमान में दिनांक 14.12.09 से अनुपस्थित) | 25.04.55 | 30.04.2015 | सी.सी.ए. नियम 16 में 3 विभागीय जांच राज्य सरकार स्तर पर विचाराधीन है |
| 3. | श्री नन्द सिंह शेखावत | उपाधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर | 23.02.56 | 29.02.2016 | कोई नहीं |

आज्ञा से,

ह

(अशोक कुमार मित्तल)
शासन उप सचिव,

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कारागार, राजस्थान सरकार।
2. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक 70003 दिनांक 10.02.2015 के क्रम में।
3. निदेशक, पेंशन एवं वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जांच/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित अधिकारी द्वारा महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव,